न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए. 103/2016

पंजीयन दिनांक 22.12.2016

(1). चांदमल पिता भूरालाल उर्फ भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी भट्टों की पोल, वर्धमान चौक की गली, निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(2). गोपाल पिता जगदीशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी धाकड़ छात्रावास के पास निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(3). नन्दलाल पिता जगदीशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी धाकड़ छात्रावास के पास निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(4). कमलेश पिता जगदीशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी धाकड़ छात्रावास के पास निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(5). लक्ष्मी पुत्री जगदीशचन्द्र पत्नी पूरणमल जाति ब्राह्मण निवासी धाकड़ छात्रावास के पास निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम उमरनी का खेड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़ढ़।

(6). निर्मला पुत्री जगदीशचन्द्र पत्नी करण जाति ब्राह्मण निवासी धाकड़ छात्रावास के पास निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(7). गीता पत्नी जगदीशचन्द्र पत्नी पूरणमल जाति ब्राह्मण निवासी धाकड़ छात्रावास के पास निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). रतनलाल पिता उंकारलाल जाति ब्राह्मण निवासी होलीथडा, निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(2). मुन्नीबाई पत्नी बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी होलीथड़ा, निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(3). मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी होलीथड़ा, निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(4). संतोष पुत्री बंशीलाल पत्नी उंकारलाल जाति ब्राह्मण निवासी निम्बाहेड़ा, हाल मुकाम मोठा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(5). हेमलता पुत्री बंशीलाल पत्नी दीपक जाति ब्राह्मण निवासी निम्बाहेड़ा, हाल मुकाम बेड़वास,उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर।

-रेस्पोडेन्ट्गण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला प्रकरण संख्या 46/2010 निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.02.2018

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). शांतिलाल बसेर- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). रेस्पोडेन्ट संख्या 2- बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 17.10.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 ने प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 1 अपीलांट एवं स्वर्गीय जगदीशचन्द्र जो आपस मे सगे भाई होकर स्वर्गीय भूरालाल उर्फ भंवरलाल जी के पुत्र है। स्वर्गीय जगदीशचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 1 अपीलांट ने प्रार्थी संख्या 1 रतनलाल एवं स्वर्गीय बशींलाल के विरूद्ध वाद संख्या 163/12 न्यायालय हाजा मे घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जो वर्तमान मे जैरकार है। दौराने वाद जगदीशचन्द्र का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसान प्रार्थना पत्र मे विपक्षीगण है। बंशीलाल का भी दौराने वाद स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसान रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण संख्या 2 से 5 है। जगदीशचन्द्र चांदमल ने प्रकरण संख्या 163/12 के साथ एक प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 150/2012 पेश किया जो कि दिनांक 01.07.2016 को इस आदेश के साथ निस्तारित किया कि विपक्षीगण अपीलांटगण मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण जो कि खातेदार काश्तकार होकर काबिज है जो विवादित कृषि आराजीयात है को किसी दीगर को किसी प्रकार से रहन ,बय, बक्षीस व अन्य तरीके से हस्तांतरित नहीं करेंगे। उक्त आशय का आदेश अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया। विवादित कृषि आराजीयात निम्बाहेड़ा मे उदयपुर रोड के दक्षिण दिशा मे स्थित है जिसके भू-प्रबन्ध के पूर्व के आराजी नम्बर 1239, 1242, 1245, 1255, 2061/1252, 2070/1359 कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा जिसके नवीन खाता संख्या 450 मे दर्ज नवीन आराजी संख्या 1673, 1682, 1685, 1893, 1696, 1821 कुल किता 6 कुल रकबा 2.23 हैक्टेयर है। उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। विपक्षीगण अपीलांटगण का उक्त विवादित कृषि आराजीयात मे कोई स्वत्व, हित अधिकार निहित नहीं है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2016 मुकदमा नम्बर 150/2012 जगदीशचन्द्र बनाम बंशीलाल मे विपक्षीगण अपीलांटगण को यथास्थिति से पाबंद किया गया था कि वे यथास्थिति कायम रखेंगे अर्थात प्रार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्पोडेन्टगण के कब्जे मे हस्तक्षेप नही करेंगे। इस आदेश का गलत विवेचन कर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मे दखलंदाजी करने लगे एवं प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण मूलवाद के प्रकरण संख्या 163/12 के प्रतिवादीगण अर्थात विपक्षीगण अपीलांटगण जो कि वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को बेदखल करने लगे तथा पुलिस थाना निम्बाहेड़ा मे प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ गलत बयान कर विवादित कृषि आराजीयात पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात पर बुआई पिलाई नहीं करने देते है तथा पुलिस थाना निम्बाहेड़ा मे अपने प्रभाव से गलत कार्यवाही कर बिना किसी कारण के पाबन्द कराने की कार्यवाही कर रहे है जबकि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट मांगीलाल ने भी विपक्षीगण अपीलांटगण को पाबन्द कराने हेतु इस्तगासा न्यायालय के आदेश से थाना निम्बाहेड़ा को प्रेषित किया गया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2016 के समय भी विवादित कृषि आराजीयात की परिस्थिति मे परिवर्तन हुआ है तब प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण शांतिपूर्वक अपने खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात का उपयोग व उपभोग कर रहे थे। अभी वर्तमान मे विपक्षीगण अपीलांटगण उक्त आदेश की गलत विवेचना कर दखलंदाजी करते है एवं अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है जबकि विवादित कृषि आराजीयात पर विपक्षीगण अपीलांटगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। विवादित कृषि आराजीयात प्रार्थीगणों को अपने पिता व दादा से विरासत मे मिली है इसलिए प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2016 को अपास्त करवाने के अधिकारी है। अन्त मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के प्रकरण संख्या 150/2012 मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.2016 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण अपीलांटगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे विपक्षीगण अपीलांटगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत किया गया। दिनांक 21.11.2016 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश नियत की गई। दिनांक 30.11.2016 को प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.2016 को निरस्त किए जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 30.11.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण विपक्षीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
[redacted] (राज.)

रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण विपक्षीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण अपीलांटगण के पिता जगदीशचन्द्र और चांदमल ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा निम्बाहेड़ा की साबिक आराजी संख्या 1239, 1242, 1245, 1255, 2061/1252, 2070/1359 कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त कृषि आराजीयात विपक्षीगण अपीलांटगण के दादा चुन्नीलाल के जमाने से चली आ रही है। चुन्नीलाल के दो पुत्र उंकारलाल और भंवरलाल हुए एवं उंकारलाल के दो पुत्र बंशीलाल ओर रतनलाल हुए तथा भंवरलाल के दो पुत्र जगदीशचन्द्र और चांदमल हुए। इसलिए उक्त पैतृक कृषि आराजीयात मे आधा हिस्सा उंकारलाल का और आधा हिस्सा भंवरलाल का है। चुन्नीलाल के मरने के बाद परिवार का कर्ता खानदान उंकारलाल हुआ। तथा वादीगण प्रार्थीगण का पिता भूरालाल उंकारलाल से छोटा था और भूरालाल अनपढ़ था। भूरालाल के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उंकारलाल ने कुलिया जमीन अकेले अपने नाम पर दर्ज करा ली परन्तु कब्जा बदस्तूर उंकारलाल और भूरालाल का बराबर चला आ रहा है। उंकारलाल के हिस्से पर विपक्षीगण अपीलांटगण का कब्जा है और भूरालाल के हिस्से पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का कब्जा है। उक्त आशय का वादपत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित किया तथा बाद मे दोनो पक्षों की सहमति से मौके पर एवं रेकॉर्ड की स्थिति यथावत रखने का आदेश दिनांक 01.07.2016 को पारित किया गया। उक्त आदेश को अपास्त करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत किया गया और अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान को सुनकर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर दिनांक 01.07.2016 को पारित सहमति के आदेश को खारिज कर दिया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 01.07.2016 का जो आदेश दोनो पक्षों की सहमति से पारित किया था उस आदेश को प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी के तहत नही बदला जा सकता है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपने आदेश को निरस्त कर गंभीर कानूनी त्रुटि की जाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.2016 उभय पक्षकारान की सहमति से व उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की हस्ताक्षरित सहमति से पारित हुआ है। उक्त आदेश को बिना किसी ठोस आधार के नहीं बदला जा सकता है। क्योंकि उक्त निर्णय व आदेश अधीनस्थ विद्वान विचारण

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र अभिस्वीकृति है और इस स्वतंत्र अभिस्वीकृति से पारित निर्णय व आदेश को किसी प्रकार से बदलनेज हेतु प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण विबंधित है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रतिबंधित है। उक्त तथ्य पर विचार किये बिना ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांटगण विपक्षीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 30.11.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विपक्षीगण अपीलांटगण के पिता जगदीशचन्द्र व चांदमल की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को उभय पक्षकारान की सहमति से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण विवादित कृषि आराजीयात के मौके की यथावत स्थिति कायम रखेंगे एवं विपक्षीगण अपीलांटगण विवादित कृषि आराजीयात को दीगर को किसी भी तरीके से हस्तांतरित नहीं करेंगे, उक्त आशय की सहमति के आधार पर विपक्षीगण अपीलांटगण के पिता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। फिर भी विपक्षीगण अपीलांटगण की ओरे से मौके पर कब्जा नहीं करने की सहमति होने के बावजूद विवादित कृषि आराजीयात पर कब्जा करने पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विपक्षीगण अपीलांटगण द्वारा विवादित कृषि आराजीयात के मौके की स्थिति मे परिवर्तत किये जाने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया जाकर विपक्षीगण अपीलांटगण को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण अपीलांटगण के पिता जगदीशचन्द्र और चांदमल ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण अपीलांटगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे विपक्षीगण अपीलांटगण जरिये

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अभिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 01.07.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प निम्बाहेड़ा मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। उभय पक्षकारान द्वारा मूलवाद के निस्तारण तक विवादित कृषि आराजीयात के मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु सहमत होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को विवादित कृषि आराजीयात के मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने एवं विपक्षीगण को विवादित कृषि आराजीयात को दीगर को हस्तांतरित नहीं करने की शर्त पर अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के अन्तिम निस्तारण तक जारी किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया है जो कि एक विधि सम्मत आदेश है। परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वयं के द्वारा पारित निर्णय व स्थगन आदेश दिनांक 01.07.2016 की शर्तो का उभय पक्षकारान के द्वारा उल्लंघन नहीं किये जाने के बावजूद प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर स्वयं के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.2016 को अकारण व बिना अपीलांटगण को सुने अपने निर्णय व आदेश दिनांक 30.11.2016 से निरस्त किया है जबकि आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश जो कि विपक्षीगण को सूचित किये बिना पारित किया गया हो अन्यथा गलत व झूठे तथ्य प्रस्तुत किये जाकर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया हो, ऐसे स्थगन आदेश को अपास्त करवाये जाने की दाद आदेश 39 नियम 4 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्राप्त की जा सकती है। जबकि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान को सुनकर विधिवत निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.2016 पारित किया है जिससे उक्त निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.2016 के गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर पारित किया जाना प्रतीत नही होता है और न ही प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण ने निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.2016 के गलत व झूठे तथ्यों पर आधारित होना प्रमाणित करवाया है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर स्वयं के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.2016 को स्वयं के ही निर्णय व आदेश दिनांक 30.11.2016 से निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं होने से अपीलांटगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलांटगण विपक्षीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 3629/2016 निर्णय व आदेश दिनांक 30.11.2016 निरस्त किया जाता है। यदि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.2016 से

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

असंतुष्ट है तो वह सक्षम न्यायालय मे विधिक प्रावधानों के तहत अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)